

27,633

संख्या:
प्रेषक,

/सात लाई0-वी-86/एम0आर0पी0 (खण्ड-3)/2023-24

आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

देहरादून दिनांक, मार्च, 21 2024

विषय :- वित्तीय 2024-25 हेतु देशी मदिरा (36% v/v) की थोक आपूर्ति दर एवं अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य (MRP) निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग के पत्र संख्या 51/ई-फाइलिंग/XXIII-1/2024 देहरादून दिनांक 19.01.2024 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 हेतु देशी मदिरा (36% v/v) की थोक आपूर्ति दर निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 हेतु आबकारी आयुक्त द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में न्यूनतम दर पर देशी मदिरा देशी मदिरा (36% v/v) की थोक आपूर्ति की दरों का निर्धारण की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त के क्रम में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु मैसर्स आर0बी0एन0शुगर मिल्स लि0 ने अपने पत्र दिनांक 21.03.2024 के द्वारा देशी मदिरा (36% v/v) की न्यूनतम थोक आपूर्ति दर प्रस्तुत की गयी है।

तदक्रम में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु प्रख्यापित "उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2024" के नियम-12.2 में देशी मदिरा का विक्रय मूल्य निर्धारित करने की व्यवस्था दी है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु प्रख्यापित "उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2024" के नियम-5.5 में व्यवस्था दी गयी है कि-"प्रदेश में देशी मदिरा की बिक्री कांच की बोतल, अद्धे एवं पच्चे के अतिरिक्त 200 एम0एल0 धारिता के टैट्रा पैक/कांच बोतल में भी अनुमत्य की जायेगी, जिसके सम्बन्ध में राज्य के राजस्व हित में आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमति प्रदान की जा सकेगी।"

मूल्य निर्धारण में प्रतिफल (अतिरिक्त राजस्व) के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या: 256/XXIII/2019/04(04)/2018 आबकारी अनुभाग देहरादून दिनांक 29.03.2019 के अनुसार प्रतिफल की धनराशि (अतिरिक्त राजस्व) को सी0एल0-2 अनुज्ञापी द्वारा वसूल कर राजकोष में जमा कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इसी कारण प्रतिफल को क्रम संख्या: 7 पर अंकित किया गया है।

उपरोक्तानुसार देशी मदिरा की सुचारु आपूर्ति एवं राजस्व हित के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु देशी मदिरा (36% v/v) की थोक आपूर्ति दर एवं अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य (MRP) अस्थाई रूप से निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

Sr. No.	Particulars	Quarts (750ML)	Pints (375 ML)	Nips (180ML)	(200ML)	(200ML) Tetra
1	Supply Rate	44.66	27.47	13.40	14.89	11.72
2	Excise Duty	6.75	3.38	1.62	1.80	1.80
3	Total (1+2)	51.41	30.85	15.02	16.69	13.52
4	VAT @10%	5.14	3.08	1.50	1.67	1.35
5	Total (3+4)	56.55	33.93	16.52	18.36	14.87
6	Cess @2%	1.13	0.68	0.33	0.37	0.30
7	Women Emp./Sports/Cow welfare	3.00	1.50	0.75	0.80	0.80
8	Billing Rate to CL-2 (5+6+7)	60.68	36.11	17.60	19.53	15.97
9	CL-2 Profit per Bottle (Q/P/N/T)	4.00	2.00	1.00	1.00	1.00
10	Total (8+9)	64.68	38.11	18.60	20.53	16.97
11	Pratifa	1.38	3.77	0.04	0.77	0.04
12	Billing Rate to CL-5 (10+11)	66.06	41.88	18.64	21.29	17.01
13	MGD @290BL	217.50	108.75	52.20	58.00	58.00

14	Landed Cost to CL-5 (10+13)	282.18	146.86	70.80	78.53	74.97
15	Profit @20%	56.44	29.37	14.16	15.71	14.99
16	Total (14+15)	338.62	176.23	84.96	94.23	89.96
17	CL MRP Rounded	340	180	85	95	90

कृपया उपरोक्तानुसार आगणन के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(प्रशांत आर्य)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

27,634-40

संख्या: /सात लाई0-वी-86/एम०आर०पी० (खण्ड-3)/2023-24 देहरादून: तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, आबकारी महोदय उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त अपर आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड।
3. समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड।
4. समस्त उप आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड।
5. उप आबकारी आयुक्त, आई०टी०, अनुभाग, मुख्यालय, देहरादून।
6. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड को उपरोक्त के अनुपालनार्थ।
7. समस्त देशी आर्पूतक इकाईयों, उत्तराखण्ड को उपरोक्त के अनुपालनार्थ।

(प्रशांत आर्य)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।